

Regarding alleged demolition of houses of SCs and STs in forest land of Robertsganj Parliamentary Constituency

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सर, हमारे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा, सदर विधान सभा, नगवा ब्लॉक, चोपन ब्लॉक, कोन ब्लॉक, नौगढ़, चकिया ब्लॉक के गांवों में दलित आदिवासियों को वनाधिकार के तहत जितना पट्टा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उनके बाप-दादा के जमाने से, एस्टेट राजा के जमाने से जो जमीन मिली हुई थी चकिया विधानसभा में, वह जमीन दलित, पिछड़े, आदिवासियों व किसानों से छीनी जा रही है।

आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को लगभग 50 सालों से सर्वे में बाहरी आदमी व दबंग पैसे वालों ने अपने नाम करा लिया है। उनकी जमीन भी सर्वे कराकर वापस की जाए। किसी पुलिस, लेखपाल से कब्जा न कराया जाए। वह गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से नाम कराया गया था। आदिवासी आज तक काबिज हैं। उस जमीन पर आज तक आदिवासियों का कब्जा है। उनकी जमीन उनके नाम करके वापस दी जाए और ज्यादा से ज्यादा वनाधिकार के तहत गरीब, दलित, आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। सर, आप कहते हैं कि दिशा की बैठक में अधिकारी सुनते हैं। वे सुनने वाले नहीं हैं। वहां पर अधिकारी मनमानी करते हैं। किसी की सुनते नहीं हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो आदेश ?दिशा? की बैठक में दिया जाता है, वह कार्य किया जाना चाहिए। वे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वहां आदेश दिया जाए कि जो कहा जाता है, उसको कायदे से सुन लें।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और शून्य काल में 20 सदस्यों में से सात समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं।